अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

A8
7

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 01/16

1. अग्रेंजसिंह
2. निरन्जनसिंह
   पिसरान श्री बलिन्दसिंह अकवाम रामगढिया निवासी 10 एफ (बास) तह0 व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्तागण

बनाम

1. साधुसिंह पुत्र श्री जोगेन्द्रसिंह जाति रामगढिया निवासी 10 एफ (बास) तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
2. ग्राम पंचायत मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये सचिव/सरपंच

अप्रार्थीगण

निगरानी खिलाफ पट्टा सं0 50 दिनांक 6–4–09 ग्राम पंचायत मिर्जेवाला

उपस्थित : श्री मलकियतसिंह नंदा, अधिवक्ता, निगरानीकर्तागण
श्री हेमचन्द सौनी, अधिवक्ता, अप्रार्थी

आदेश

दिनांक: 17–6–16

प्रस्तुत निगरानी लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई। हस्तगत निगरानी राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्तागण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चक 10 एफ बड़ा में दिनांक 4–12–78 को प्लाट सं0 91 व 92 अग्रेंजसिंह को एवं प्लाट सं0 90 व 93 निरन्जनसिंह को कीमतन अलॉट किए गए थे जो अग्रेंजसिंह को 170/– रू0 में व निरन्जनसिंह को 180/– रू0 में अलॉट किये गये था। चारों प्लाटों पर कब्जा निगरानीकर्तागण का चला आ रहा है। उक्त चारों प्लाट्स संकल्प सं0 5(3) व 5(4) द्वारा अलॉट किए गए हैं। निगरानीकर्तागण द्वारा मौके पर चार दिवारी की जाकर एक कमरा बनाया हुआ है। मौके पर निगरानीकर्तागण का सामान पड़ा हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जॉच किये अप्रार्थी सं0 1 को बिना किसी आधार के विधि विरूद्व तरीके से उपरोक्त प्लाट उतर 80 फुट, दक्षिण 75 फुट, पूर्व 65 फुट व पश्चिम 30 फुट का पट्टा जारी कर दिया है। इसकी बाबत पंचायत में कोई रेकार्ड नहीं है। दिनांक 7–12–09 को पट्टे का नवीनीकरण करवाया गया है और फिर उप पंजीयक, श्री गंगानगर से पट्टा रजिस्टर्ड करवाया गया है। ग्राम पंचायत की पट्टा बुक में पट्टा जारी होना नहीं पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अलॉटमैन्ट की प्रकिया नहीं अपनाई गई है। निगरानीकृत पट्टे में प्लाट का नम्बर नहीं दिया गया है। निगरानीकृत भूखण्ड की कीमत कम ऑकी गई है। अप्रार्थी सं0 1 ने एक दावा सिविल कोर्ट में दायर कर रखा है, जो विचाराधीन

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक बार प्लॉट को अलॉट करने के बाद दुबारा उसी प्लाट को अलॉट नहीं कर सकती है जब तक किसही सक्षम अथोरिटी द्वारा उनको निरस्त नहीं कर दिया जाता। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत पट्टा सं0 50 दिनांक 6–4–09 निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी से संबंधित रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय से तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि निगरानीकर्तागण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चक 10 एफ बड़ा में दिनांक 4–12–78 को प्लाट सं0 91 व 92 अंग्रेजसिंह को 170/– रु0 में एवं प्लाट सं0 90 व 93 निरन्जनसिंह को 180/– रु0 में संकल्प सं0 5(3) व 5(4) से अलॉट किये गये थे। चारों प्लाटों पर कब्जा निगरानीकर्तागण का चला आ रहा है। निगरानीकर्तागण द्वारा मौके पर चार दिवारी की जाकर एक कमरा बनाया हुआ है जिसमें निगरानीकर्तागण का सामान पड़ा हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जॉच किये अप्रार्थी सं0 1 को बिना किसी आधार के विधि विरूद्व तरीके से उपरोक्त प्लाट उतर 80 फुट, दक्षिण 75 फुट, पूर्व 65 फुट व पश्चिम 30 फुट का पट्टा जारी कर दिया है जिसका पंचायत में कोई रेकार्ड नहीं है। दिनांक 7–12–09 को पट्टे का नवीनीकरण करवाया गया है और फिर उप पंजीयक, श्री गंगानगर से पट्टा रजिस्टर्ड करवाया गया है। ग्राम पंचायत की पट्टा बुक में पट्टा जारी होना नहीं पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अलॉटमैन्ट की प्रकिया नहीं अपनाई गई है। निगरानीकृत पट्टे में प्लाट का नम्बर अंकित नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 ने एक दावा सिविल कोर्ट में दायर कर रखा है, जो विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय एक बार प्लॉट को अलॉट करने के बाद दुबारा उसी प्लाट को अलॉट नहीं कर सकती है जब तक किसी सक्षम अथोरिटी द्वारा उनको निरस्त नहीं कर दिया जाता। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत पट्टा सं0 50 दिनांक 6–4–09 निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् प्रक्रिया अपना कर संकल्प सं0 1 दिनांक 6–2–08 के माध्यम से प्रस्ताव पारित कर, दो सौ साठ रूपये पंचायत कोष में जमा करवा कर, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के नियम 157(ख) में पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकृत भूखण्ड निलामी में कय किया गया है।. दिनांक 7–12–09 को पट्टे का नवीनीकरण विधिसम्मत् तरीके से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया है तथा उप पंजीयक, श्री गंगानगर से निगरानीकृत पट्टे को पंजीबद्व करवाया गया है। निगरानी देरी से पेश की गई है। निगरानीकृत पट्टा दिनांक 6–4–09 का है जबकि निगरानी दिनांक 31–12–15 को सात साल से अधिक की देरी के साथ पेश की गई है। निगरानी मियाद बाहर है। अतः निगरानी मियाद बाहर होने एवं निगरानीकृत पट्टा विधिसम्मत् होने से निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। रजिस्टर्ड पट्टे को खारिज करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। रजिस्टर्ड पट्टे को खारिज करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। सिविल न्यायालय में दावा पेश कर रखा है

...ला कलक्टर (प्रशासन)
...राजस्थान)

Scanned by CamScanner

जो विचाराधीन है। एफ आई आर दर्ज करवाई थी, जिसमें बाद अनुसंधान एफ आर लगा दी गई है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

ग्राम पंचायत मिर्जेवाला के सचिव द्वारा अपने पत्र दिनांक 25–4–16 से अवगत कराया गया है कि चाहा गया रेकार्ड ग्राम पंचायत चार्ज लिस्ट के अनुसार ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी पट्टा सं0 50 दिनांक 5–4–09 निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि निगरानीकृत पट्टा रजिस्टर्ड है जिसे खारिज करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। इसके खण्डन में निगरानीकर्तागण के अधिवक्ता का कथन है कि निगरानीकर्तागण को दिनांक 4–12–78 को संकल्प सं0 5(4) व 5(3) के द्वारा भूखण्ड सं0 91,92, 90 व 93 कीमतन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटित किए गए हैं, जिसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जॉच किये, अप्रार्थी सं0 1 को आवंटन कर दिया है । अधीनस्थ न्यायालय एक बार प्लॉट को अलॉट करने के बाद दुबारा उसी प्लाट को अलॉट नहीं कर सकती है जब तक किसी सक्षम अथोरिटी द्वारा उनको निरस्त नहीं कर दिया जाता।

चूँकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया है। अतः यह जॉच का विषय है कि अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित किया गया भूखण्ड एवं निगरानीकर्तागण को पूर्व में आवंटित किए गए भूखण्ड की जगह एक ही है । अतः निगरानीकृत भूखण्ड एवं पूर्व में आवंटित भूखण्ड की जगह की जॉच हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, निगरानीकर्ता की निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा निगरानीकृत पट्टा सं0 50 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय इस तथ्य की समुचित जॉच करें कि निगरानीकृत भूखण्ड एवं पूर्व में निगरानीकर्तागण को आंवटित भूखण्डों की जगह एक ही है अथवा पृथक–2 है। तदनुसार विधिसम्मत् तरीके से पुनः आदेश पारित करें। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14–7–16 को उपस्थित हों। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 17–6–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/6/16

(कर्णसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner